

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ, दिनांक: 15-5-2019

- कार्यालय द्वाारा -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा तहसील तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता निरंतर प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 15-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु उपरोक्त पूर्व संस्थाओं की सम्बद्धता/एन। में संशोधित सरथाओं का सम्बद्धता विस्तार/प्रावधान/प्रवेश क्षमता सुविधा/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में एन। में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली पूर्व संस्थाओं का प्रथम वर्ष स्थापना सम्बद्धता समिति द्वारा लक्षात किया-विमर्श का निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

**ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी सरथाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित सरथाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस सत्र के साथ लिया गया कि सरथाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग परम्प होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।**

उक्त निर्णयानुसार उपरोक्त सरथा को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशारदों द्वारा की गयी जासुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रावधान एवं उक्तमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	सरथा का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	म००१	जीएम कॉलेज इंजीनियरिंग फार्मेसी का 1 <sup>वां</sup> वर्ष लखनऊ	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था सत्र 19-20 प्राविधिक शिक्षा परिषद एस्टे 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982 तथा अन्य विनियम, विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सत्र प्रथम इंजीनियरिंग फार्मेसी हेतु ₹ 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो तहसील तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एन। तथा दो तहसील पाठ्यक्रमों को तहसील तकनीकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हेतु ₹ 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्षों के साथ किया जायेगा। उक्तमें अंकित प्रावधान/प्रवेशों से सुलभ के सम्बन्ध में संलग्नक-2 में बताया गया, पिछले विषयों के गत समस्त प्रवेश पत्रों को भी उक्त अनुक्रम कार्यालयी विषय उक्त आवस्यक शेषों कोस निरीक्षण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु शेष का पुनर्विचारण किया जाये है, तो शेषों की तहसील पर जतनी होगी।

Principal  
Anson Jyoti Institute of Pharmacy  
Chak Road, Latha, Allahabad

- ✓ संस्थाओं (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उ० समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विधियाँ/प्रक्रियाएँ/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान दायर किया जाता है तथा दायर कर के सम्बन्ध में भी ग्यामान्तक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु करसन्धिलिपि प्रारण होने के पूर्व पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्ध उपलब्ध कराये गये अगिलेख, मुनि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति नहीं जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।

o/c (सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पू०सं०- प्राशिष/परिषद/सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक: 15-5-2019

प्रतिलिपि- प्रधानाचार्य/निदेशक, जीवन ज्योति इस्टी० ऑफ फार्मसी, खैर रोड, लोढ़ा, अलीगढ़

o/c (सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

Principal  
Jyoti Institute of Pharmacy  
Khair Road, Lodha, Aligarh



**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संस्था- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

**--कार्यालय ज्ञाप--**

संयुक्त भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय ज्ञाप इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्राविण सं 2020-21 हेतु दिल्ली/फार्मसी कार्यालय ज्ञाप संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता पुष्टि सहित अन्य मसौ पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुसार ने सम्बद्धता समिति की बैठक के सं०-3 में दिल्ली/फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया-

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईए द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आर्या सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विनियोजित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीठसीआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	1929	जीएम ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, टैंगरू रोड, लखनऊ	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एअरआईएलसीआईए/पीठसीआईए द्वारा निर्धारित शर्तें पालनी एवं पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था लखनऊ प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सं० 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992 सेक्टर विनियमवारी 2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुलम विनियोजित शर्तों द्वारा निर्धारित कुलम तीन वर्षीय इच्छित पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30-150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 25,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम को अप्रिप्रेड) हेतु ₹०-22,500.00 प्रतिवर्ष कुलम ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से कुलम की सम्बद्धता में समत-समत पर

Principal  
Institute of Pharmacy  
K.Ind Road, Locha, Agra

शास्त्र द्वारा निर्गत किये जाने वाले शास्त्राचार्य प्रणवी होने और अनुमान कायंवाही किया जाता आवश्यका होगा। कौन स्थितिगत स्थिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु कौन का अनुमानित किया जाता है तो कौन ही महीनाय पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (30000 प्रतिशत शिक्षा समिति) तथा उन संस्थायी संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाये। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सतत प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के विना रा जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सतत-समय पर निर्गत शास्त्राचार्य के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बन्धित हुक्त जमा करने होंगे।
- ✓ संस्था का एंग्रॉमेटरी/सीटी/सीटी/पीसी/आई/ए से जगानी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यका होगा।
- ✓ संस्था सतत प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विधिम/आदेश/निर्देश/शास्त्राचार्य/निर्देश एवं निर्देशक प्रतिशत शिक्षा (3000) सतत प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये विधिम/विनियम, आदेश/निर्देश का शासन करने के किये बाध्य होगी।
- ✓ विनियम इन कार्मसी पाठ्यक्रम की सतत एंडि पीसी/आई/ए में दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक रहती है तो इस संस्था में सतत उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विनियम का त किनी में कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, सतत प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को आई/ए पर उत्तर शिक्षा जाता है तथा सतत सत्र के संस्था में या शास्त्राचार्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संस्था आदेश निर्गत किया जाता है तो सतत प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्मसी पाठ्यक्रम संस्थागत करने वाली संस्थायों को सतत प्रवेश परीक्षा परिषद सतत प्रदेश संस्थान द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए अनातिम प्रवेश परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड शासन होने के पूर्व पीसी/आई/ए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही की सम्बन्ध करना होगा सतत नई प्रवेश की (कार्यान्वितिम के माध्यम से अथवा संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ सतत प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम शास्त्राचार्य विधिम का अनुपालन करना आवश्यका होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सतत सुचनाएं जैसे-संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया सतत सत्र-संस्था, उपाध्यक्ष, प्राध्यापक जमा सतत हुक्त, छात्रजमा हुक्त कति का विवरण सतत करनी होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपर्युक्त शास्त्राचार्य उपर्युक्त जमाने की सतत शिक्षा सतत के सम्बन्ध में सतत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को सतत जमा हेतु निर्देशक समिति के सतत उपर्युक्त करनी गये अनिवार्य सुनि-सतत कर्तव्य, उपर्युक्त इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो शास्त्राचार्य संस्था की सम्बन्धित सतत विधि जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित सतत का अनुपालन न किये जाने प्रस्ताव शर्त का उन्मूलन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(स) उत्तराखण्ड शिक्षा  
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बन्धित/2020/ 1972-3141 तद् दिनांक 15-09-2020  
प्रतिक्रिया-प्रस्ताव/निर्देशक, जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ कार्मसी, खैर लोहा, उत्तराखण्ड।

(स) उत्तराखण्ड शिक्षा  
सचिव





कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1929-JIVAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY, KHAIR ROAD, LODHA , ALIGARH

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

Principal  
Jyoti Institute of Pharmacy  
Khair Road, Lodha, Aligarh  
8/17/2021, 1:51 PM

